रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड I
PART I—Section I
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 166] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 13, 2019/ज्येष्ठ 23, 1941
No. 166] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 13, 2019/JYAISTHA 23, 1941

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(विदेश व्यापार महानिदेशालय)
सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली 13 जून, 2019

सं. 10/2015–2020

विषयः प्रक्रिया पुस्तक, 2015–20 के पैरा 4.95 (ञ) में संशोधन और एनएनएफ–4द की अधिसूचना।

फा. सं. 1/61/180/360/एएम19/पीसी–3.–विदेश व्यापार नीति (2015–2020) के पैरा 1.03 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्द्वारा दिनांक 29.03.2019 की सार्वजनिक सूचना सं. 83 के तहत यथा अधिसूचित प्रक्रिया पुस्तक, 2015–20 के पैरा 4.95(ञ) में निम्नलिखित संशोधन करते हैंः–

मौजूदा पैरा 4.95(ञ)	संशोधित पैरा 4.95(ञ)
(ञ) शुल्क क्रेडिट स्क्रिप हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथिः आईसीईजीएटीई से डीजीएफटी सर्वर पर शिपिंग बिल अपलोड करने की तिथि से एक साल के भीतर आवेदन प्रस्तुत करना होगा। इस अवधि के बाद, कोई भी आवेदन प्रस्तुत नहीं किया जा सकता और शिपिंग बिल कालातीत हो जाएंगे। आरओएससीटीएल के तहत विलंब कटौती का कोई भी प्रावधान नहीं है। स्कीम केवल दिनांक 31.03.2020 तक किए गए निर्यात हेतु वैध है।	(ञ) शुल्क क्रेडिट स्क्रिप हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की अन्तिम तिथिः शिपिंग बिलों की अनुमत निर्यात तिथि (प्रक्रिया पुस्तक, 2015–020 के पैरा 9.12 (घ) के अनुसार) के एक वर्ष के भीतर आवेदन प्रस्तुत करना होगा। इस अवधि के बाद, कोई भी आवेदन प्रस्तुत नहीं किया जा सकता और शिपिंग बिल कालातीत हो जाएंगे। आरओएससीटीएल के तहत विलंब कटौती का कोई भी प्रावधान नहीं है। स्कीम केवल दिनांक 31.03.2020 तक किए गए निर्यात हेतु वैध है।

2. आरओएससीटीएल के अंतर्गत छूट का दावा करने हेतु आवेदन, एनएनएफ 4द भी अधिसूचित किया जाता है तथा यह इस सार्वजनिक सूचना के अनुलग्नक के अनुसार है।

इस सार्वजनिक सूचना का प्रभावः– स्क्रिप तंत्र के अंतर्गत आरओएससीटीएल का दावा करने के मानदंड में परिवर्तन किया गया है जिसके तहत अब शिपिंग बिलों में यथा उल्लिखित अनुमत निर्यात तिथि के एक वर्ष के भीतर आवेदन प्रस्तुत करना आवश्यक है। इसके अलावा, आरओएससीटीएल के तहत छूट का दावा करने के लिए आवेदन, एएनएफ 4द भी अधिसूचित किया जाता है।

आलोक वर्धन चतुर्वेदी, महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

सार्वजनिक सूचना सं. 10 दिनांक 13 जून, 2019 का अनुलग्नक

आयात निर्यात प्रपत्र–4द

प्रक्रिया पुस्तक 2015–20 के तहत 4.95 और 4.96 में यथा अधिसूचित राज्य और केन्द्रीय कर और लेवी में छूट (आरओएससीटीएल) की स्कीम के लिए आवेदन करने हेतु आवेदन पत्र

आवेदकों के लिए दिशानिर्देश

1. आवेदन करने से पहले आरओएससीटीएल के संबंध में प्रक्रिया पुस्तक 2015–20 के पैरा 4.95 और 4.96 और वस्त्र मंत्रालय द्वारा प्रकाशित राजपत्र अधिसूचनाओं को पढ़ें।
2. कृपया यह नोट करें कि अनुमत निर्यात तिथि के आधार पर अलग–अलग वर्षों के लिए निर्यात हेतु पृथक आवेदन (एएम 15, एएम 16 आदि) प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
3. आवेदक को एक समय में केवल एक शिपिंग बिल को चुनना है/ब्यौरे भरना है। एक आवेदन में, छूट हेतु अधिकतम 50 शिपिंग बिलों का चयन किया जा सकता है।

भाग क

1. आवेदक का ब्यौराः										
i. आईईसी सं.										
ii. आईईसी का नाम										
iii. पता										
iv. दूरभाष सं.										
v. वैध/सक्रिय ईमेल आईडी										

भाग ख

2. आवेदन का विवरणः
   1. निर्यात लाइसेन्सिंग वर्ष (कृपया उस वर्ष का उल्लेख करें जिसमें अनुमत निर्यात तिथि (प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 9.12) के आधार पर निर्यात किया गया है):
   2. आवेदन प्रस्तुत करने की तारीखः
   3. इस आवेदन के लिए निर्यात का पत्तनः
3. शिपिंग बिल का विवरणः
   - i. पात्र शिपिंग बिल शिपिंग बिल संग्रह में आनलाइन उपलब्ध होंगे। निर्यातकों को शिपिंग बिलों का चयन करना है और अपना आवेदन तैयार करना है। ईडीआई शिपिंग बिलों के लिए ब्यौरा भरने की आवश्यकता नहीं है।
   - ii. आनलाइन ई–कॉम माड्यूल समय–समय पर यथा संशोधित वस्त्र मंत्रालय की राजपत्र अधिसूचना द्वारा अधिसूचित दरों/सीमाओं के आधार पर हकदारी की स्वतः गणना करेगा।
4. अपेक्षित स्प्लिट प्रमाण पत्रों की संख्या (प्रत्येक 5लाख रु० के गुणक में):
5. आयात के प्रयोजन हेतु पंजीकरण का पत्तन (पंजीकरण का पत्तन उन पत्तनों में एक पत्तन होगा जहां से निर्यात किए गए हैं)
6. घोषणा/वचनबद्धता

1	मैं/हम एतदद्वारा घोषणा करता हूँ/करते हैं किः क. फर्म जिसके लिए आवेदन किया गया है, को निम्नलिखित किसी भी अधिनियम (समय–समय पर यथासंशोधित) के अधीन **दण्डित नहीं/दण्डित किया गया हैः** (i) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (ii) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944

	(iii) विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 (iv) विदेशी मुद्रा प्रबन्धन अधिनियम, 1999 (v) विदेशी मुद्रा संरक्षण, तस्करी गतिविधि निवारण अधिनियम, 1974 ख. कम्पनी/फर्म/एचयूएफ/न्यास (जैसा भी मामला हो) का कोई भी निदेशक/साझेदार/स्वामी/ कर्ता/न्यासी फर्म/एचयूएफ/न्यासी किसी अन्य कम्पनी/फर्म/संस्था जो डीजीएफटी की अपात्र घोषित सूची (डीईएल) में है, का निदे"ाक/साझेदार/स्वामी/कर्ता/न्यासी नहीं है। ग. न तो कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय/फर्म के मुख्यालय और न ही उसके किसी शाखा कार्यालय (यों)/यूनिट(टों)/डिविजन(नों) को चूककर्ता घोषित किया गया है और न ही नीति के किसी प्रावधान के अधीन आयात/निर्यात करने के लिए अपात्र घोषित किया गया है।
2	मैं/हम समय–समय पर यथासंशोधित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 उसके तहत बने नियमों और आदेशों, विदेश व्यापार नीति, प्रक्रिया पुस्तक के प्रावधानों के पालन की शपथ लेता हूँ/लेते हैं।
3	मैं/हम घोषणा करता हूँ कि इस आवेदन में दिए गए ब्यौरे और विवरण सत्य और सही है और इसमें कुछ भी छिपाया अथवा रोका नहीं गया है। मैं/हम पूर्णतः समझता हूँ/समझते हैं कि आवेदन में दी गई जानकारी गलत या झूठी साबित होगी तो मुझे/हमें कोई भी दण्डात्मक कार्रवाई अथवा परिणाम भुगताने पड़ सकते हैं जो कि विधि द्वारा निर्धारित या अन्यथा अपेक्षित हों।
4	मैं एतद्द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि मैं विदेश व्यापार नीति के पैरा 9.06 के अनुसार इस घोषणा को सत्यापित करने और हस्ताक्षर करने के लिए अधिकृत हूँ।
5	मै एतद्द्वारा घोषित करता हूँ कि मैने वसूली की प्रक्रिया से संबंधित प्रक्रिया पुस्तक 2015–20 के पैरा 4.96 के प्रावधानों को पढ़ लिया है और मै घोषित करता हूँ कि इस आवेदन में ऐसी किसी खेप का दावा नही किया गया है जिसे बाद में लौटा दिया गया हो। यदि इसे भविष्य में लौटाया जाता है तो मैं प्रदान की गई छूट को सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 28कक के अंतर्गत निर्धारित दर पर ब्याज सहित वापस करने का वचन देता हूं। मै यह भी घोषित करता हूँ कि मैने राज्य सरकार/केन्द्र सरकार की किसी अन्य प्रक्रिया के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेवी और करों के क्रेडिट/छूट/रिफंड/प्रतिपूर्ति का दावा नहीं किया है और नहीं करुंगा।
6	मै एतद्द्वारा घोषित करता हूँ कि इस आवेदन में कोई निर्यात इस संबंध में आरओएससीटीएल से संबंधित वस्त्र मंत्रालय की राजपत्र अधिसूचनाओं में यथा निर्धारित प्रावधानों के उल्लंघन में नहीं है।
7	मैंने प्रक्रिया पुस्तक 2015–20 के पैरा 3.06 (ख) का अध्ययन किया है और मै मौजूदा आरओएससीटीएल आवेदन को परिशिष्ट 1क के अनुसार अपने क्षेत्राधिकार के क्षेत्रीय प्राधिकारी को प्रस्तुत कर रहा हूँ।
8	मैं पूर्णतया समझता हूँ कि क्षेत्रीय प्राधिकारी अथवा कोई अभिकरण किसी समय दस्तावेज मांग सकता है जिसके आधार पर मांगी गई छूट प्रदान की गई। मैं वचन देता हूँ मैं ऐसा विवरण/दस्तावेजों को अपनी ओर से बिना किसी विलंब के प्रस्तुत करुंगा। यदि मैं ऐसा दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने में असमर्थ होता हूँ तो स्क्रिप की राशि को विदेश व्यापार नीति और प्रक्रिया पुस्तक में यथा निर्धारित ऐसी स्क्रिपों की तिथि से सीमाशुल्क अधिनियम 1962 की धारा 28कक के तहत निर्धारित दर पर ब्याज सहित नकद वापसी करुंगा तथा एफटीडीआर अधिनियम के अनुसार दण्डनीय कार्रवाई के लिए भी उत्तरदायी रहूंगा।

☐ **घोषणा/वचनबद्धता को स्वीकृत करने हेतु बाक्स को टिक करें और प्रस्तुत करें**

आवेदक के हस्ताक्षर	डिजिटल हस्ताक्षर के साथ ई–कामर्स मॉडयूल में डिजिटल रूप से प्रस्तुत किया जाए।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(DIRECTOR GENERAL OF FOREIGN TRADE)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 13th June, 2019

No. 10/2015-2020

Subject: Amendment in the para 4.95 (j) of the Handbook of Procedures, 2015-20 and notification of the ANF 4R

F. No. 1/61/180/360/AM19/PC-3.—In exercise of powers conferred under paragraph 1.03 of the Foreign Trade Policy (2015-2020), the Director General of Foreign Trade hereby makes the following amendments in the para 4.95 (j) of the Handbook of Procedures, 2015-20, notified vide Public Notice 83 dated 29.03.2019

Current Para 4.95 (j)	Amended Para 4.95 (j)
(j) Last date of filing of application for Duty Credit Scrips: The application will have to be filed within one year of the date of uploading of the shipping bills from ICEGATE to DGFT server. After this period, no application can be filed and the shipping bills would e time barred. There is no provision of late cut under RoSCTL. The Scheme is valid for export made upto 31.03.2020 only.	(j) Last date of filing of application for Duty Credit Scrips: The application will have to be filed within **one year of the Let Export Date (as per para 9.12 (d) of the HBP 2015-20)** of the shipping bills. After this period, no application can be filed and the shipping bills would become time barred. There is no provision of late cut under RoSCTL. The Scheme is valid for export made upto 31.03.2020 only.

2. The application for claiming rebate under RoSCTL, ANF 4R is also notified and is as per Annexure to this Public Notice.

Effect of this Public Notice: The criteria for claiming RoSCTL under the scrip mechanism has been changed, under which applications are now required to be filed within 1 year of the Let Export date as mentioned in the Shipping bills. Further, ANF 4R , the application form for claiming rebate under RoSCTL is also notified.

ALOK VARDHAN CHATURVEDI, Director General of Foreign Trade & Ex-Officio Addl. Secy.

Annexure to the Public Notice No. 10 Dated 13th June, 2019

ANF- 4 R

<u>Application Form to Apply for the Scheme for Rebate of State and Central Taxes and Levies (RoSCTL) as notified in the para 4.95 and 4.96 of the Handbook of Procedures 2015-20)</u>

Guidelines for Applicants

1. Kindly read Paras 4.95 and 4.96 of the HBP 2015-20 and Gazette Notifications published by the Ministry of Textiles on the ROSCTL before applying
2. Please note that separate applications are required to be filed for exports for separate years (AM15, AM16 etc.) based on Let Export date.
3. Applicant is required to select/feed the details of one shipping bill at a time. A maximum of 50 shipping bills can be selected for rebate in one application

Part A

1.	Applicant Details:										
i	IEC No.										
ii	Name of the IEC										
iii	Address										
iv	Telephone No										
v	Valid / Active Email ID										

Part B

2. Application Details :

i. Export Licensing Year (pl. specify the year in which export has been made, based on Let export date (Para 9.12 of HBP):

ii. Date of filing of Application:

iii. Port of Export for this Application:

3. Shipping Bill Details :

i. The Eligible Shipping Bills would be available in the shipping bill repository online. The Exporters are required to select the shipping bills and build their application. There is no requirement for filling the details for EDI shipping bills.

ii. The online E com module would auto-calculate the entitlement based on the rates/caps notified by the Ministry of Textiles' Gazette Notification as amended from time to time

4. Number of Split Certificates required (in multiples of Rs 5 lakhs each):

5. Port of Registration for the purpose of imports.(The port of registration shall be one of the ports from which exports have taken place)

6. Declaration / Undertaking

1	I/We hereby certify that : A. the entity for whom the application has been made have **not been penalized/ have been penalized** (choose as applicable) under any of the following Acts (as amended from time to time): (i) The Customs Act, 1962, (ii) The Central Excise Act 1944, (iii) Foreign Trade (Development & Regulation) Act 1992, (iv) The Foreign Exchange Management Act,1999; and (v) The Conservation of Foreign Exchange, Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 B. none of the Directors / Partners / Proprietor / Karta / Trustees of the company /firm /HUF/Trust, (as the case may be), is/are a Director(s) / Partner(s) / Proprietor / Karta / Trustee in any other Company/ firm / entity which is on the Denied Entity List (DEL) of DGFT; C. neither the Registered Office of the company / Head Office of the firm / nor any of its Branch Office(s)/ Unit(s)/ Division(s) has been declared a defaulter and has otherwise been made ineligible for undertaking import / export under any of the provisions of the Policy;
2	I/We undertake to abide by the provisions of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992, as amended from time to time, the Rules and Orders framed there under, the Foreign Trade Policy, the Handbook of Procedures
3	I/We hereby certify that that particulars and statements made in this application are true and correct and nothing has been concealed or held therefrom. I/We fully understand that any information furnished in the application if found incorrect or false will render me/us liable for any penal action or other consequences as may be prescribed in law or otherwise warranted.
4	I hereby certify that I am authorized to verify and sign this declaration as per Paragraph 9.06 of the Foreign Trade Policy.
5	I hereby declare that I have read the provisions of the para 4.96 of the HBP 2015-20 regarding the Recovery Mechanism and I declare that none of the consignment in respect of which claim is filed in this application has been subsequently returned. In case it is returned in future, I undertake to refund the rebate granted with interest rates as prescribed under section 28AA of Customs Act, 1962. I also declare that I have not claimed and shall not claim credit/rebate/refund/re-imbursement of the specified levies and taxes under any other mechanism from State Government/ Central Government.
6	I hereby declare that this application does not contain any exports in contravention provisions as specified in the Ministry of Textiles Gazette Notifications on ROSCTL in this regard.
7	I have gone through the para 3.06 (b) of the HBP 2015-20 and am submitting this instant ROSCTL application to my jurisdictional Regional Authority as per Appendix 1A
8	I fully understand that RA or any other agency, at any time, may ask me to provide documents on the basis of which the rebate claimed in this application was granted. I undertake to provide any such details/documents without any delay on my part. In case I am not able to provide such documentary evidence, I undertake to refund the amount of scrip in cash with interest at the rate prescribed under section 28AA of Customs Act, 1962, from the date of such scrip as prescribed in FTP and HBP and shall also be liable for penal action as per FTDR act.

☐ **Tick the box as acceptance of declaration/ undertaking and submit**

Signature of the Applicant	To be Digitally Submitted in the E com module with the help of a Digital Signature

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2019.06.14 21:55:54 +05'30'